बि पत्र 2

पिछला	अगला

130

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक

सतपुडा भवन,मध्यप्रदेश, भोपाल

क्र0/अ0वि0/लो0वा0/ 2570 भोपाल, दिनॉक : 4-8-08

अत्यंत महत्वपूर्ण

फैक्स संदेश

प्रति,

समस्त वन संरक्षक

क्षेत्रीय वृत्त, मध्यप्रदेश.

विषय : राज्य में लोकवानिकी के अंतर्गत अवैध कटाई की रोकथाम के संबंध में निर्देश ।

संदर्भ : म0प्र0 शासन, वन विभाग का पत्र क्र0 1647/2094/06/10–2 दिनांक 24–07–08 एवं प्र0मु0व0सं0, म0प्र0 का पत्र क्र0 2489 दिनांक 30–07–08

राज्य के एक जिले में लोकवानिकी योजना के अंतर्गत अवैध कटाई होने के कुछ प्रकरण प्रकाश में आये हैं, इस बावत म0प्र0 शासन, वन विभाग के संदर्भित पत्र के तारतम्य में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं –

1) लोकवानिकी योजना के अंतर्गत अवैध कटाई की कई स्तरों पर शिकायतें प्राप्त होने के कारण पूर्ण प्रदेश में आगामी आदेश तक प्र0मु0व0सं0, म0प्र0 के आदेश क्र0 2489 दिनांक 30–07–08 से कटाई की अनुमति एवं विदोहित काष्ठ के भुगतान पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगाया गया है । आगामी आदेश तक कटाई हेतु कोई नवीन आदेश भी जारी नहीं किया जावे । निर्देशों का विधिवत पालन सुनिश्चित किया जावे ।

2) लोकवानिकी नियम, 2002 के नियम–7 के अनुसार प्रदेश के किन–किन जिलों में मॉनिटरिंग समितियॉ कार्यरत हैं । विगत एक वर्ष में मानिटरिंग समितियों द्वारा कितने प्रतिवेदन संबंधित वनमंडलाधिकारियों को भेजे गये एवं किन किन प्रतिवेदनों में अनियमितताएं बावत लेख है तथा इन अनियमिततओं के संबंध में क्या कार्यवाहियॉ की गई है, इस संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन प्रेषित करें ।

परीक्षण करें कि क्या लोकवानिकी योजना के अंतर्गत सभी स्वीकृत प्रबंध योजनाओं में परिवहन अनुज्ञा पत्र विधिवत म0प्र0 अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किये गये हैं ? परिवहन अनुज्ञा पत्र किसके द्वारा जारी किये गये हैं एवं क्या जारी करने के पूर्व सभी वांछित औपचारिकताएं पूर्ण की गई हैं ? इस बावत प्रकरणवार स्पष्ट प्रतिवेदन प्रेषित करें ।

4) आप अपने क्षेत्राधिकार में स्वीकृत की गयी समस्त लोकवानकी प्रबंध योजनाओं का परीक्षण कर ज्ञात करें कि इसमें प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत सीमांकन हुआ है या नही, प्र0मु0व0सं0, म0प्र0 के ज्ञापन क्र0 4134 दिनांक 26–12–05 के द्वारा आरेंज क्षेत्र से

संबंधित निर्देशों के अंतर्गत तथाकथित भूमि का प्रमाणीकरण किया गया या नहीं। योजना के अंतर्गत कटाई निर्धारित अर्हता से अधिक तो नहीं की गयी है एवं भुगतान कार्यवाही नियमानुसार की गयी है । इस संबंध में प्रकरणवार जानकारी भेजना सुनिश्चित करें ।

5) लोकवानिकी के अंतर्गत स्वीकृत प्रबंध योजनाओं के संबंध में देवास, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाडा, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला, कटनी, सागर, दमोह, रायसेन, सीहोर जिलों पर अधिकारिता रखने वाले वन संरक्षक विशेष रूप से परीक्षण करेंगे प्रकरणवार अपना स्पष्ट प्रतिवेदन प्रेषित करेगें।

उपरोक्तानुसार बिंदु क्र0 1 से जारी निर्देश का कडाई से तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित करावें एवं बिंदु क्र0 2 से 5 के अंतर्गत चाहे अनुसार प्रतिवेदन अ0प्र0मु0व0सं0 एवं लो0वा0, म0प्र0 को दिनांक 10–08–2008 तक विशेष वाहक के माध्यम से प्रेषित करें परीक्षण कर वस्तुस्थिति से शासन को अवगत कराया जा सके । प्रकरण में निर्धारित समय का विशेष ध्यान रखा जावे ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0क्र0/ अ0वि0/लो0वा0/ 2571 भोपाल, दिनांक : 04-8

प्रतिलिपि : 1) प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, वन विभाग की ओर शासन के संदर्भित पत्र तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

2) अ0प्र0मु0व0सं0, अ0वि0 एवं लो0वा0, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । उपरोक्तानुसार जारी निंर्देशों का पालन सुनिश्चित करावें ।

3) अ0प्र0मु0व0सं0, संरक्षण, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

4) अ0प्र0मु0व0सं0, उत्पादन, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल

अ.प्र.मु.व.सं. (संरक्षण)
म.प्र. भोपाल
5/8

3828
7/8/08
भोपाल